

विज्ञापन सं. 01/2023

संघ लोक सेवा आयोग

निम्नलिखित पदों के लिए चयन द्वारा भर्ती हेतु

(वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से*)

ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.*) आमंत्रित किए जाते हैं।

रिक्ति विवरण

1. (रिक्ति संख्या 23010101214) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में उपायुक्त (बागवानी) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12। आयु : 50 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) : शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में विशेषज्ञता के साथ बागवानी या कृषि या वनस्पति विज्ञान में मास्टर डिग्री या समकक्ष*। *समकक्ष का अभिप्राय: (i) पुष्प कृषि एवं भू-दृष्य (लैंड स्केपिंग), (ii) फल विज्ञान / फल कृषि विज्ञान, (iii) शाक (वेजिटेबल) विज्ञान/ सब्जी उत्पादन

(ओलेरीकल्चर), (iv) कृषि वानिकी, (v) वृक्षारोपण, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलें। **(ख) अनुभव** : बागवानी विकास या अनुसंधान या उत्पादन अथवा विस्तार में दस वर्ष का अनुभव। **वांछनीय**: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बागवानी में डॉक्टरेट की डिग्री या **समकक्ष*** । ***समकक्ष का अभिप्राय**: (i) पुष्प कृषि एवं लैंड स्केपिंग, (ii) फल विज्ञान / फल कृषि विज्ञान, (iii) शाक (वेजिटेबल) विज्ञान/ सब्जी उत्पादन, (iv) कृषि वानिकी, (v) वृक्षारोपण, मसाले, औषधीय और सुगंधित फसलें। **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : बागवानी उत्पादन में आने वाली समस्याओं को हल करने में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच आवश्यक संपर्क रखना और फील्ड स्तर पर कृषि अधिकारियों और विस्तार कार्यकर्ताओं के उपयोग के लिए आधिकारिक अनुशंसायें प्रदान करना। बागवानी फसलें यथा काजू, नारियल, सुपारी, मसाले, बागवानी सब्जियां, पॉम आयल, फल एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में कृषि उत्पादन अभियान को निष्पादित करना। विभिन्न राज्यों की बागवानी योजनाओं, स्कीमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना। **मुख्यालय** : भारत या विदेश में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ नई दिल्ली।

2. (रिक्ति संख्या 23010102214) पौध संरक्षण, संगरोध और भंडारण निदेशालय, फरीदाबाद, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक (विष विज्ञान) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् एक पैर प्रभावित (दांया या बांया)

(ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले के शिकार (एएवी), बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 आयु : 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) : शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक डिग्री या औषध विज्ञान या विष विज्ञान में मास्टर डिग्री। (ख) अनुभव : औषध विज्ञान या विष विज्ञान के संबंधित क्षेत्र में प्रयोगशाला या अस्पताल या संस्थान में तीन वर्ष का कार्य अनुभव। वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फार्माकोलॉजी या विष विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मास्टर डिग्री। (ii) पशु घर (एनिमल हाउस) के प्रबंधन या जानवरों को संभालने या कीटनाशकों या रसायनों के विष विज्ञान के क्षेत्र में एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव। टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। कार्य : प्रयोगशाला रिपोर्ट/विष-विद्या संबंधी अध्ययन के परिणामों की जांच । चूहे और मानव सीरम में कोलिनेस्टरेज़ के आकलन के लिए मानकीकरण। कीटनाशकों की तकनीकी जांच/समीक्षा। कीटनाशकों के सुरक्षित उपयोग संबंधी प्रशिक्षण आयोजित करना। योजना बनाने, आयोजन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और परिणामों की व्याख्या करने की जिम्मेदारी। मुख्यालय : भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ फरीदाबाद, हरियाणा।

3. (रिक्ति संख्या 23010103214) रबड़ बोर्ड, कोट्टायम, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में रबड़ उत्पादन आयुक्त के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-13 आयु : 50 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) : शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या कृषि में स्नातकोत्तर डिग्री। (ख) अनुभव: (i) रबर की आधुनिक वैज्ञानिक खेती के सभी पहलुओं का ज्ञान जिसमें नए रोपण, पुनः रोपण और कच्चे उत्पादों को तैयार करना शामिल है; (ii) जिम्मेदार पद पर कृषि से संबंधित योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित करने में बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम पांच वर्ष का अनुभव रबर की खेती में होना चाहिए। वांछनीय : (i) वनस्पति विज्ञान या कृषि में पीएचडी; (ii) आवश्यकता होने पर रबर बागान (प्लांटेशन) उद्योग के लिए विकास योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन के संबंध में बोर्ड को सलाह देने में सक्षम होना चाहिए; (iii) रबर पौध रोपण (प्लांटेशन) के विस्तार या परामर्शी कार्य में लगभग पांच वर्ष का अनुभव या नियमित रूप से रबर पौध रोपण (प्लांटेशन) संबंधी कार्यों में पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव। टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। कार्य : रबर उत्पादन आयुक्त निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगा:- (i) रबर उत्पादन विभाग का उचित प्रशासन। (ii) विभिन्न योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के संबंध में अध्यक्ष को उचित सलाह देना। (iii) वार्षिक सामूहिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करना। (iv) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना। (v) क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य सौंपना और उनकी उपलब्धियों पर निगरानी रखना। (vi) रबड़ की खेती आदि से संबंधित

राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रबर बोर्ड का प्रतिनिधित्व करना।
मुख्यालय: कोट्टायम, केरल।

4. (रिक्ति संख्या 23010104614) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वैज्ञानिक 'बी' (गैर-विनाशकारी) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित (अननुसचिवीय)। वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10। आयु: 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : शैक्षिक : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री; और (ii) सामग्री के परीक्षण / मूल्यांकन / खराबी की जांच में कर्मचारी के रूप में गैर-विनाशकारी/ धातु विज्ञान तकनीकों में एक वर्ष का व्यवहारिक अनुभव या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग / यांत्रिक इंजीनियरिंग / धातु विज्ञान में इंजीनियरिंग स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक; और (ii) सामग्रियों की जांच/मूल्यांकन/ खराबी की जांच में कार्यरत गैर-विनाशकारी/धातु विज्ञान तकनीकों में दो साल का व्यावहारिक अनुभव।
वांछनीय: (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्तर से विकिरण का कार्यस्थल प्रभारी प्रमाणपत्र या किसी मान्यता प्राप्त सोसायटी / संस्थान से एक या अधिक गैर-विनाशकारी परीक्षण विधियों में I/II/III। (ii) वेल्डिंग तकनीक का ज्ञान।
टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।
कार्य : वैज्ञानिक 'बी' (गैर-विनाशकारी) गैर-विनाशकारी विषय का समग्र प्रभारी हैं। वह परीक्षण अनुरोधों/अग्रेषण पत्रों की जांच करेगा, वैज्ञानिक अधिकारी और वैज्ञानिक सहायक को नमूने आवंटित करेगा, तकनीकी/प्रशासनिक समस्याओं का पर्यवेक्षण और समाधान करेगा। परीक्षण प्रमाणपत्रों के मसौदे की जाँच करना है और अंतिम परीक्षण प्रमाणपत्र

पर हस्ताक्षर करना। क्रय संबंधी सभी मामलों में पहल करना और सभी तकनीकी/क्रय/प्रशासनिक मामलों में वैज्ञानिक 'सी' की सहायता करना।
मुख्यालय: कोलकाता। उम्मीदवार भारत में राष्ट्रीय परीक्षण शाला के क्षेत्रीय कार्यालयों में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है।

5. (रिक्ति संख्या 23010105614) राष्ट्रीय परीक्षण शाला, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में वैज्ञानिक अधिकारी (विद्युत) के पद के लिए एक रिक्ति (अ.पि.व.-01)। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।
वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-08।
आयु: 33** वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** (क) **शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी में मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियरिंग में डिग्री। (ख) **अनुभव:** किसी प्रयोगशाला में उन्नत विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक्स माप में एक वर्ष का अनुभव या मोटर या स्विचगियर या लैंप और फोटोमेट्री या बैटरी या केबल या विद्युत सहायक उपकरण आदि जैसे बिजली की दुकानों के विकास और परीक्षण के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव या भारतीय मानक या अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन या अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो तकनीकी आयोग के मानदंडों के अनुसार विद्युत माप उपकरणों और उपकरणों को ठीक करने का अनुभव।
टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** वैज्ञानिक अधिकारी की जिम्मेदारियों में संबंधित प्रयोगशाला के नमूनों का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है और वैज्ञानिक अधिकारी इन सामग्रियों के परीक्षण पद्धतियों के विकास के संबंध में कार्य करेगा। वैज्ञानिक अधिकारी वैज्ञानिक सहायक को

नमूने जारी करने और उचित परीक्षण प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने सहित वैज्ञानिक बी की अनुपस्थिति में उनके दैनिक कार्य को भी करने के लिए जिम्मेदार होगा। **मुख्यालय** : कोलकाता उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी है। **कोई अन्य शर्त** : राष्ट्रीय परीक्षण शाला के द्वारा परिवीक्षा के भाग के रूप में पद से संबंधित कार्यों और उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में यथाप्रतिपादित और प्रायोजित दो से चार सप्ताह का अनिवार्य प्रवेशन प्रशिक्षण।

6. (रिक्ति संख्या 23010106614) मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यिकी की अनुसंधान अण्वेषण अधिकारी के पद के लिए एक रिक्ति (अ.ज.जा.-01)। यह रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों हाथ प्रभावित (बीए) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या प्रमत्तिकीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी), ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् मानसिक रोगी (एमआई), बहुविध अक्षमता (एमडी) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान**: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10। **आयु** : 40** वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं** : (क) **शैक्षिक** : किसी

मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मत्स्य पालन में विशेषज्ञता के साथ प्राणी विज्ञान में मास्टर डिग्री या समुद्री जीव विज्ञान में एम.एफ.एससी या एम.एससी या औद्योगिक मत्स्यिकी में एम.एससी या मत्स्य पालन में एम.एससी या मत्स्य विज्ञान में एम.एससी। (ख) अनुभव: केंद्रीय या राज्य सरकार के विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्ध सरकारी या वैधानिक या स्वायत्त संगठन से मत्स्य विकास के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव जिसमें नीति और योजना तैयार करना और योजना स्कीमों का तकनीकी मूल्यांकन, उनकी निगरानी और कार्यान्वयन और संसदीय मामले को देखना शामिल है। **टिप्पणी-I :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **टिप्पणी-II :** अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** (i) अंतर्देशीय मत्स्यिकी मत्स्य पालन आदि की विभिन्न योजनाओं के तहत निधि जारी करने संबंधी प्राप्त प्रस्ताव की जांच एवं प्रक्रिया करना। (ii) गहरे समुद्र में जहाजों के लिए अनुमति पत्र देने के प्रस्ताव की जांच करना। (iii) मत्स्य पालन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करना। **मुख्यालय:** नई दिल्ली।

7. (रिक्ति संख्या 23010107414) भारत के महापंजीयक का कार्यालय, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक जनगणना संचालन (तकनीकी) के पद के लिए छह रिक्तियां (अ.जा.-01, अ.ज.जा.-01, अ.पि.व.-02, अनारक्षित-02)

(पीडब्ल्यूबीडी-01)*। *छह रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी)** उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि **(एलवी)**, बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं **(बीएल)** या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) **(ओए)** या एक पैर और एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)**, बहुविध अक्षमता **(एमडी)** अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान:** 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 **आयु : 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं :**

शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सांख्यिकी या संचालन (आपरेशनल) अनुसंधान या जनसंख्या विज्ञान या जनसांख्यिकी या गणितीय सांख्यिकी या अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मास्टर डिग्री। **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** (i) जनसंख्या जनगणना, एसआरएस, सीआरएस, एनपीआर आदि और इस कार्यालय द्वारा स्वीकार की गई अन्य स्कीमों/परियोजनाओं से संबंधित सांख्यिकीय कार्यों की योजना/निष्पादन। (ii) इस कार्यालय द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों की कार्यसूची टिप्पण/कार्यवाहियों को अंतिम रूप देने में सहायता करना। (iii) जनगणना कार्य और अन्य स्कीमों और परियोजनाओं जैसे एसआरएस /

सीआरएस/ एनपीआर आदि के दौरान फील्ड अधिकारियों और मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देना। (iv) जनगणना कार्य और अन्य स्कीमों/परियोजना से संबंधित फील्ड कार्य और मामलों पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करना। (v) जनगणना कार्यों के दौरान एकत्र किए गए डेटा के प्रसंस्करण और विभिन्न अन्य योजनाओं/परियोजनाओं के फील्ड कार्य से संबंधित कार्य की प्रगति की निगरानी करना। **मुख्यालय** : भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ भारत का महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली।

8. (रिक्ति संख्या 23010108614) भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय में सहायक निदेशक (आईटी) के पद के लिए चार रिक्तियां (अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस.01, अनारक्षित-02)। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (**एलवी**), बधिर और उंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् उंचा सुनने वाले (**एचएच**), प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (**बीएल**) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (**ओएल**) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (**ओए**) या एक पैर और एक हाथ प्रभावित (**ओएलए**) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (**सीपी**) या कुष्ठ रोग उपचारित (**एलसी**) या बौनापन (**डीडब्ल्यू**) या तेजाबी हमले से पीड़ित शिकार (**एएवी**), ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता और मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् विशिष्ट लर्निंग अक्षमता (**एसएलडी**) या मानसिक रोगी (**एमआई**), बहुविध अक्षमता (**एमडी**) अर्थात् ऊपर निर्दिष्ट अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।

वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10
आयु : 35 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** **शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। **(ख) अनुभव :** इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में तीन साल का अनुभव या वास्तविक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डेटा बेस प्रबंधन प्रणाली या वेब डिजाइनिंग या नेटवर्किंग या कम्प्यूटरीकृत सूचना स्टोरेज करने और रिट्रीवल सिस्टम या डेटा सुरक्षा का अनुभव। **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य:** (i) नियमित डेटा बैकअप और उसके प्रबंधन की योजना का निष्पादन। (ii) निदेशालयों / ओआरजीआई की स्थानीय जरूरतों के लिए सिस्टम (डिजाइन / वास्तुकार) / प्रोग्रामिंग/सॉफ्टवेयर विकास में सहायता करना। (iii) डेटा प्रसार, वेब पेज / नेटवर्क तैयार करने और डेटा सुरक्षा आदि के लिए टूल विकसित करने में सहायता करना। (iv) उपयुक्त मीडिया पर छवियों और डेटा का उचित बैकअप और पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित करना। **मुख्यालय :** भारत में कहीं भी सेवा करने के दायित्व के साथ भारत का महापंजीयक कार्यालय, नई दिल्ली।

9. (रिक्ति संख्या 23010109214) **केंद्रीय न्यायालयिक (फोरेंसिक) विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, गृह मंत्रालय में वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान) के पद के लिए एक रिक्ति (अनारक्षित-01)।** यह रिक्ति

बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन **(बी)** या अल्प दृष्टि **(एलवी)**, बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर **(डी)** या ऊंचा सुनने वाले **(एचएच)**, प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं **(बीएल)** या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) **(ओएल)** या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) **(ओए)** या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित **(ओएलए)** या कुष्ठ रोग उपचारित **(एलसी)** या बौनापन **(डीडब्ल्यू)** या तेजाबी हमले से पीड़ित **(एएवी)** उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय।
वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10। **आयु :** 35 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं :** **(क) शैक्षिक :** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान स्नातक के तीन वर्षों में रसायन विज्ञान एक विषय सहित रसायन विज्ञान या जैव रसायन या औषध विज्ञान या फार्मसी या न्यायालयिक विज्ञान में मास्टर डिग्री। **(ख) अनुभव:** किसी सरकारी मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान से विषय विज्ञान के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धतियों और अनुसंधान में तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनीय :** न्यूनतम निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के बाद केंद्र या राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के तहत न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी :** उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को लिखित रूप में अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य :** आपराधिक मामले की जांच, अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना, आपराधिक दृश्य की जांच, मामले का विश्लेषण करने में कनिष्ठ वैज्ञानिक कार्मिकों का मार्गदर्शन

करना, न्यायालयिक विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां, तथा विभिन्न जांच एजेंसियों / न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशालाओं और अन्य संगठनों के प्रशिक्षुओं को न्यायालयिक विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करना। **मुख्यालय** : चंडीगढ़, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, कामरूप (असम) तथा भोपाल स्थित प्रयोगशालाओं सहित नई दिल्ली। अधिकारी को कार्य निष्पादन हेतु भारत में कहीं भी जाना अपेक्षित होगा। **कोई अन्य शर्त:** (i) कुष्ठ रोग उपचारित व्यक्ति केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान) के पद के लिए उपयुक्त हैं, बशर्ते कि उनके ऊपरी अंग सामान्य रूप से कार्य कर रहे हों। (ii) तेजाबी हमले से पीड़ित, केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक 'बी' (विष विज्ञान), के पद के लिए उपयुक्त हैं बशर्ते कि उनकी दृष्टि और श्रवण क्षमता बाधित न हो।

10. (रिक्ति संख्या 23010110514) केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय में वैज्ञानिक 'बी' (सिविल इंजीनियरी) के पद के लिए नौ रिक्तियां (अ.जा.-02, अ.ज.जा.-02, अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस.-01, अनारक्षित-03)। (पीडब्ल्यूबीडी-01)*। *नौ रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एच एच) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन एवं अल्पदृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित और मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता

अर्थात् एक पैर प्रभावित (दायां या बायां) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां) (ओए) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है। पद स्थायी है। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-10 । आयु : 35 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री। (ख) अनुभव: सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पणी-I : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। टिप्पणी-II : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। कार्य : सामग्री सर्वेक्षण, परियोजना स्थलों से चट्टान, मिट्टी और नमूने एकत्र करना और भू-तकनीकी डेटा का संग्रहण; प्रयोगशाला परीक्षण, संकलन करना और रिपोर्ट तैयार करना, परियोजना प्रस्ताव तैयार करना, डीपीआर का मूल्यांकन करना और स्व-प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को देखना, जलीय संरचनाओं के डिजाइन मापदंडों का तकनीकी मूल्यांकन करना। वैज्ञानिक डी/वैज्ञानिक सी/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गए सभी कार्य करना। मुख्यालय: अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

11. (रिक्ति संख्या 23010111414) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद के लिए छिहत्तर रिक्तियां (अ.जा.-08, अ.ज.जा.-07, अ.पि.व.-20, ईडब्ल्यूएस.-05, अनारक्षित-36) (पीडब्ल्यूबीडी-03)*। *छिहत्तर रिक्तियों में से तीन रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। *बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित तीन रिक्तियों में से दो रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी) और शेष एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एच एच) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् बधिर (डी) या ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमष्णिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई), ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता, या मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम अक्षमता (एसडी) (एम = माइल्ड, एमओडी = मॉडरेट) या विशिष्ट

लर्निंग अक्षमता (एसएलडी) या मानसिक रोगी (एमआई) या बहुविध अक्षमताओं (एम डी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है। पद स्थायी हैं। समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसचिवीय। **वेतनमान** : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-06। **आयु** : 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं:** **शैक्षिक:** (I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में, हिन्दी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी एक अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में, अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम में और अंग्रेजी एक अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में और हिन्दी एक अनिवार्य एवं वैकल्पिक विषय के रूप में या स्नातक स्तर पर परीक्षा के माध्यम के साथ हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी और अंग्रेजी एक अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय के रूप में या दोनों में से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में मास्टर डिग्री और (II) हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स या भारत सरकार के उपक्रम सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में हिन्दी से अंग्रेजी और इसके विपरीत अनुवाद कार्य का दो वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी-1** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ

लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है।
टिप्पणी-II : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में यदि चयन के किसी भी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग का यह मत है कि इस समुदाय से उनके लिए आरक्षित पद को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो इन कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शैक्षिक योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : (i) शाखा में सभी अनुवाद सामग्री का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करना। (ii) मुख्यालय में तैनात होने पर सहायक निदेशक/उप निदेशक (राजभाषा) की सहायता करना। (iii) क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/अस्पतालों आदि में निदेशक/संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा सौंपे गए सभी कार्य करना। **मुख्यालय** : अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सी.आई.जी मार्ग, नई दिल्ली ।

12. (रिक्ति संख्या 23010112214) राजभाषा स्कंध, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में उप विधायी काउंसिल (हिंदी शाखा) के पद के लिए तीन रिक्तियां। (अ.पि.व.-01, ईडब्ल्यूएस.-01, अनारक्षित-01) (पीडब्ल्यूबीडी-01)*। *तीन रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित

(एएवी) या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् दृष्टिहीन (बी) या अल्प दृष्टि (एलवी), प्रमत्तिकीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या एक पैर तथा एक हाथ प्रभावित (ओएलए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले के शिकार (एएवी) या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई), ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता, या मानसिक रोग के साथ अक्षमता अर्थात् विशिष्ट लर्निंग अक्षमता (एसएलडी) या बहुविध अक्षमताओं (एमडी) अर्थात् उपर्युक्त अक्षमताओं की श्रेणियों में से कम से कम दो अक्षमताओं वाले उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है। पद स्थायी हैं। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-12। आयु : 50 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं:

(क) : शैक्षिक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में मास्टर डिग्री; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी माध्यम में माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की हो या मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या कोई संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्च परीक्षा में हिंदी को एक विषय के रूप में रखा हो या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कानून में स्नातक की डिग्री; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या संस्थान से हिंदी माध्यम में

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या कोई उच्च परीक्षा उत्तीर्ण की हो या मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या कोई संस्थान या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा या किसी उच्च परीक्षा में हिंदी को एक विषय के रूप में रखा हो।

(ख) अनुभव: (क) एलएलएम डिग्री धारकों के लिए :- (i) आठ वर्ष की अवधि से राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य; या (ii) केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक निकाय या स्वायत्त निकाय में एक कार्यकारी या अधिकारी, जिसके पास कानूनी मामलों का आठ वर्ष का अनुभव हो; या (iii) एक योग्य कानूनी प्रैक्टिसकर्ता जिसने इस रूप में आठ वर्षों तक अभ्यास किया है; या (iv) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में आठ साल के लिए कानून का शिक्षक; या (v) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में कानूनों, वैधानिक नियमों और आदेशों का हिंदी में अनुवाद का आठ साल का अनुभव; या (vi) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में सांविधिक मसौदा तैयार करने का आठ साल का अनुभव;

या (ख) एलएलबी डिग्री धारकों के लिए: - (i) दस वर्ष की अवधि के लिए राज्य न्यायिक सेवा का सदस्य; या (ii) केंद्रीय या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारी कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक निकाय या स्वायत्त निकाय में एक कार्यकारी या अधिकारी, जिसके पास कानूनी मामलों में दस साल का अनुभव है; या (iii) एक योग्य कानूनी प्रैक्टिसकर्ता जिसने इस रूप में दस वर्षों तक प्रैक्टिस किया हो; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान में दस साल के लिए कानून का शिक्षक; या (v) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में कानूनों, वैधानिक नियमों और आदेशों के हिंदी में अनुवाद का दस साल का अनुभव; या (vi) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश में विधायी प्रारूप तैयार करने का दस साल का अनुभव। **नोट 1** : आवश्यक

योग्यता में प्रयुक्त अर्हक कानूनी प्रैक्टिसकर्ता का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो एक वकील या अधिवक्ता है और विधि में मास्टर डिग्री होने पर आठ वर्ष या कानून में स्नातक डिग्री होने पर दस वर्ष के लिए अभ्यास किया है। **नोट 2** : विधि कार्य में अनुभव शब्द का अभिप्राय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या वैधानिक निकाय या स्वायत्त निकाय के तहत एक सारभूत कानूनी पद का धारक है जिसके लिए कानून की डिग्री में स्नातक की डिग्री, भर्ती के लिए एक शर्त या आवश्यक योग्यता है। **वांछनीय** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय या माध्यम के साथ स्नातक की डिग्री। (ii) केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन में हिंदी में विधायी प्रारूपण का पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : केंद्रीय कानूनों, सांविधिक नियम विनियमों आदि का हिंदी में प्रमाणित अनुवाद तैयार करना और राजभाषा स्कंध के संयुक्त सचिव और विधायी सलाहकार (हिंदी शाखा) को सामान्यतः सहायता देना। **मुख्यालय**: नई दिल्ली।

13. (रिक्ति संख्या 23010113614) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय में सहायक अभियंता ग्रेड-I के पद के लिए चार रिक्तियां (अ.पि.व.-01, अनारक्षित-03) (पीडब्ल्यूबीडी-01)*। *चार रिक्तियों में से एक रिक्ति बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे

दृष्टिहीन और अल्प दृष्टि के साथ अक्षमता अर्थात् अल्प दृष्टि (एलवी), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) उम्मीदवारों के लिए भी उपयुक्त है। पद स्थायी हैं। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिवीय।
वेतनमान : 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-08। **आयु** : 30 वर्ष। **अनिवार्य योग्यताएं** : **शैक्षिक** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग में स्नातक या इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (एएमआईई*) के एसोसिएट सदस्य या खनन या मैकेनिकल या ड्रिलिंग में इंजीनियरिंग डिग्री। (*केवल वे छात्र पात्र होंगे जो स्थायी मान्यता वाले संस्थानों में 31.05.2013 तक नामांकित थे)।
टिप्पणी : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : (i) कैंप प्रभारी के रूप में ड्रिल यूनिट का पूर्ण प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण। (ii) विवेकपूर्ण उपयोग और रख-रखाव, मशीनरी और वाहन की मरम्मत और रख-रखाव, सड़क कर भुगतान, फिटनेस प्रमाण पत्र और वाहन पुर्जों के लिए मांगपत्र आदि शुरू करना। (iii) ड्रिलिंग ऑपरेशन का पर्यवेक्षण और योजना बनाना, मांगपत्र तैयार करना और स्टोर और खातों का रख-रखाव। (iv) पीओएल, बिट्स, मड (गीली मिट्टी) आदि का प्रावधान। (v) अनुपयोगी स्टोर के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट। (vi) मुख्यालय को ड्रिलिंग रिपोर्ट/रिटर्न प्रस्तुत करना। (vii) बोरहोल आवंटन/बंद करने, लॉगिंग आदि के लिए फील्ड भूवैज्ञानिक और स्थानीय अधिकारियों के साथ निकट संपर्क। **मुख्यालय**: अखिल भारतीय सेवा दायित्व के साथ कोलकाता। **कोई अन्य शर्त** : भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अपनी पहली नियुक्ति पर प्रत्येक नियुक्त व्यक्ति को भारतीय

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित प्रवेशन या अभिविन्यास प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा और 3 लाख रुपये का एक जमानती बांड निष्पादित करना होगा, जिसमें उन्हें प्रवेशन प्रशिक्षण के सफल समापन की तिथि से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में लगातार 3 वर्ष की सेवा प्रदान करनी होगी।

14. (रिक्ति संख्या 23010114614) पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए दो रिक्तियां (अ.पि.व.-01, अनारक्षित-01)। ये रिक्तियां बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) की श्रेणी से संबंधित जैसे बधिर और ऊंचा सुनने वाले के साथ अक्षमता अर्थात् ऊंचा सुनने वाले (एचएच), प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठरोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले से पीड़ित एवं मांसपेशीय कुपोषण के साथ अक्षमता अर्थात् दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं (बीएल) या एक पैर प्रभावित (दांया या बांया) (ओएल) या एक हाथ प्रभावित (दांया या बांया) (ओए) या प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (सीपी) या कुष्ठ रोग उपचारित (एलसी) या बौनापन (डीडब्ल्यू) या तेजाबी हमले से पीड़ित (एएवी) या मांसपेशीय कुपोषण (एमडीवाई) उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त है। पद स्थायी हैं। सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित, अननुसचिवीय। वेतनमान: 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में लेवल-11 । आयु : 40 वर्ष। अनिवार्य योग्यताएं : (क) : शैक्षिक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से *प्राकृतिक विज्ञान में से किसी एक में डॉक्टरेट की डिग्री। *प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ है भौतिक विज्ञान/रसायन विज्ञान/जीव विज्ञान (वनस्पति विज्ञान/प्राणी विज्ञान में विशुद्ध या अनुप्रयुक्त) या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान में मास्टर डिग्री के बाद

पर्यावरण विज्ञान में एम.फिल/पीएच.डी.। **(ख) अनुभव** : किसी शैक्षिक / अनुसंधान संगठन से अध्यापन / अनुसंधान और/या पर्यावरण के क्षेत्र में प्रशासनिक का पांच वर्ष का अनुभव। **वांछनीय** : पर्यावरण से संबंधित परियोजनाओं की योजना, डिजाइन और निष्पादन में अनुभव। **टिप्पणी** : उम्मीदवारों के अन्यथा अर्हक होने की स्थिति में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विवेकानुसार योग्यताओं में छूट दी जा सकती है। **कार्य** : पर्यावरण के संरक्षण, सुरक्षा और परिरक्षण के लिए समन्वय कार्य, प्रदूषण नियंत्रण की रोकथाम के लिए नीतिगत हस्तक्षेप, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम 1981, जल अधिनियम 1974, के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन और समन्वय, अवशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जलवायु परिवर्तन के नियम अधिसूचना जारी करना, योजना स्कीमों का कार्यान्वयन, अन्य पर्यावरण से संबंधित मुद्दे, सदन और संसदीय मामला, पर्यावरण डेटा बेस का सृजन तथा आरटीआई, पीजीएमएस आदि जैसे विविध मामले। **मुख्यालय**: नई दिल्ली। **कोई अन्य शर्त** : उम्मीदवारों को अ.पि.व. श्रेणी के तहत आरक्षण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने पर ही प्रदान किया जाएगा । अन्य राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जारी अ.पि.व. प्रमाण पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को सामान्य / अनारक्षित रिक्तियों के संबंध में सामान्य / अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में विचार किया जाएगा।

(महत्वपूर्ण)

उपर्युक्त पदों के लिए वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती हेतु दिनांक **14-01-2023** से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन (ओ.आर.ए.) आमंत्रित किए जाते हैं।

ओ.आर.ए. वेबसाइट के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की अंतिम तिथि **02.02.2023 को 23.59 बजे तक** है।

पूर्ण रूप से ऑन-लाइन जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की अंतिम तिथि **03.02.2023 को 23.59 बजे तक** है।

सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र में अपना संपूर्ण विवरण सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि गलत विवरण प्रस्तुत करने से आयोग द्वारा उन्हें विवर्जित किए जाने के अलावा कंप्यूटर आधारित शार्टलिस्ट किए जाने की प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जा सकता है।

साक्षात्कार की तिथि, जिस दिन शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने ऑन-लाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित अन्य दस्तावेज संघ लोक सेवा आयोग में प्रस्तुत करने होंगे, की सूचना उम्मीदवारों को अलग से दी जाएगी।

***बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति।**

टिप्पणियां :

क) उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे इस विज्ञापन के संबंध में केवल वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ऑन-लाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) से ही आवेदन करें और आवेदन प्रपत्र के लिए आयोग को न लिखें। उनसे यह भी अनुरोध है कि वे नीचे प्रकाशित तथा वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> पर दिए गए पदों के विवरण एवं अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

ख) **मद सं. 6 के सामने दर्शाई गई आयु सीमा में अ.ज.जा. के लिए आरक्षित उम्मीदवारों के संबंध में आयु सीमा में छूट दी गई है। **मद सं. 5 के सामने दर्शाई गई आयु सीमा में अ.पि.व. के लिए आरक्षित उम्मीदवारों के संबंध में आयु सीमा में छूट दी गई है। सभी मदों के सामने दर्शायी गई आयु सीमा सामान्य आयु सीमा है तथा अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के संबंध में 5 वर्ष तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 3 वर्ष तक की छूट है। अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। **कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित मद संख्या 11 की रिक्तियों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट है।** अन्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए आयु संबंधी रियायत के लिए आवेदक कृपया “चयन द्वारा भर्ती हेतु उम्मीदवारों के लिए अनुदेश तथा अतिरिक्त सूचना” के संगत पैरा देखें।

ग) कोई उम्मीदवार सामुदायिक आरक्षण का लाभ पाने का पात्र केवल तभी होगा यदि उम्मीदवार की जाति, जिससे वह संबंधित है, को केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई आरक्षित समुदाय की सूची में शामिल किया गया हो। यदि कोई उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में यह अभिलेखबद्ध करता/करती है कि वह अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन बाद में आयोग को अपनी श्रेणी को बदलने के लिए अनुरोध करता/करती है तो ऐसे अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

घ) बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी), रिक्ति विवरण के विभिन्न मद (मदों) के सामने दर्शाए अनुसार, उन संगत पदों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, किन्तु उपयुक्त समझे गए हैं। तथापि, ऐसे उम्मीदवारों के बारे में इन पदों पर चयन हेतु विचार योग्यता के सामान्य मानकों के अनुसार किया जाएगा। कम से कम 40% संगत अक्षमता वाले व्यक्ति ही नियमों

के अंतर्गत अनुमेय, आरक्षण तथा अन्य छूटों का लाभ पाने के पात्र माने जाएंगे। अतः बेंचमार्क दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) निम्नलिखित का लाभ उठा सकते हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत मिलने वाला आरक्षण तथा अन्य रियायतें और छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगे, जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या इससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हों।

(ii) नियमों के अंतर्गत मिलने वाली अन्य रियायतें तथा छूट केवल तभी स्वीकार्य होंगी जब शारीरिक अक्षमता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो और पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त हों।

ड) ऐसे मामलों में, जहां विशेष रूप से आरक्षित और उनके लिए उपयुक्त निर्धारित पदों के लिए साक्षात्कार के लिए पर्याप्त संख्या में पात्र, शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवार (पीडब्ल्यूबीडी) उपलब्ध नहीं हैं, तो अनुभव योग्यताओं में (50% तक) छूट दी जा सकती है ताकि निर्धारित मानदंडों के अनुसार पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपलब्ध हो सकें। यह अनुभव के वर्ष पर लागू होता है न कि अनुभव की प्रकृति पर।

च) **मुख्यालय** : कुछ पदों के सामने विशेष रूप से उल्लिखित स्थानों पर, अन्यथा भारत में कहीं भी।

छ) **परिवीक्षा** : चयनित व्यक्तियों को नियमानुसार परिवीक्षाधीन नियुक्त किया जाएगा।

हिन्दी और अंग्रेजी में किसी अर्थ भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

चयन द्वारा भर्ती के लिए उम्मीदवारों को अनुदेश और अतिरिक्त सूचनाएं :

1. नागरिकता

उम्मीदवार अनिवार्यतः या तो :-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास करने के इरादे से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति जो भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में टंगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन कर आया हो। किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

टिप्पणी :- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, आयोग द्वारा उसके आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकता है और नियुक्ति के लिए अनुशंसा किए जाने पर उसे अनंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है बशर्ते कि भारत सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र जारी कर दे।

2. आयु सीमाएं: इस पद के लिए आयु सीमा का उल्लेख उक्त विज्ञापन में किया गया है, विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य आयु संबंधी कतिपय रियायत के लिए कृपया छूट तथा रियायत संबंधी अनुदेश देखें।

3. न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं : सभी आवेदकों को विज्ञापन में विनिर्दिष्ट पद से संबंधित अनिवार्य अपेक्षाओं और अन्य शर्तों को अनिवार्यतः पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे यह संतुष्टि कर लें कि वे विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम अनिवार्य योग्यताओं को

पूरा करते हों। पात्रता के संबंध में सलाह देने संबंधी किसी भी पूछताछ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

टिप्पणी-I : निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं और केवल इन योग्यताओं को पूरा कर लेने से ही उम्मीदवार साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते।

टिप्पणी-II : प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने पर, आयोग निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक तरीकों से साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या को उपयुक्त सीमा तक कम कर सकता है :

(क) “वांछनीय योग्यता (वा.यो.) या किसी एक या सभी वांछनीय योग्यताओं के आधार पर यदि एक से अधिक वां.यो. निर्धारित है”।

(ख) विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं की अपेक्षा उच्चतर शैक्षिक योग्यता के आधार पर।

(ग) विज्ञापन में निर्धारित संगत क्षेत्र में न्यूनतम अनुभव की अपेक्षा अधिक अनुभव के आधार पर।

(घ) अनिवार्य योग्यताएं प्राप्त करने के पहले या बाद के अनुभव को जोड़कर।

(ङ) ऐसे मामलों में भी अनुभव को शामिल करके जिनमें अनिवार्य योग्यता (अ.यो.) या वांछनीय योग्यता (वा.यो.) के लिए कोई अनुभव उल्लिखित नहीं है।

(च) भर्ती परीक्षा आयोजित करते समय अंतिम योग्यता निर्धारित करने में भर्ती परीक्षा के अंकों और साक्षात्कार के अंको के लिए आम तौर पर वेटेज 75:25 के अनुपात में दिया जाता है।

इसलिए उम्मीदवारों को चाहिए कि वे संगत क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से अधिक जो भी योग्यताएं तथा अनुभव रखते हों, उन सभी का उल्लेख करें।

टिप्पणी -III :-

महत्वपूर्ण

- (i) चयन चाहे केवल साक्षात्कार द्वारा या भर्ती परीक्षा के बाद साक्षात्कार द्वारा किया जाए, साक्षात्कार के लिए उपयुक्तता का श्रेणीवार न्यूनतम स्तर साक्षात्कार के कुल 100 अंकों में से अना./ई.डब्ल्यू.एस.-50 अंक, अ.पि.व.-45 अंक, अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी-40 अंक होगा।
- (ii) जिन मामलों में भर्ती परीक्षा (आरटी) के बाद साक्षात्कार द्वारा चयन किया जाता है उनमें उम्मीदवार को दोनों चरणों, अर्थात् 'भर्ती परीक्षा' के साथ-साथ 'साक्षात्कार' में भी अपनी संबंधित श्रेणी में उपयुक्तता का न्यूनतम स्तर प्राप्त करना होगा।

4. आवेदन शुल्क:

- क) उम्मीदवारों को शुल्क के रूप में 25/- रु. (पच्चीस रूपए) की राशि एस.बी.आई. की किसी भी शाखा में नकद या एस.बी.आई. की नेट बैंकिंग सुविधा या वीज़ा /मास्टर क्रेडिट/ डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा करनी होगी।
- ख) अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/किसी भी समुदाय की महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क देय नहीं होगा। सामान्य/अ.पि.व./आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के पुरुष उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं होगी और उन्हें निर्धारित पूरा शुल्क अदा करना होगा।
- ग) निर्धारित शुल्क न दिए जाने पर किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार के निरसन के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- घ) एक बार अदा किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं लौटाया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

5. रियायत और छूट :

(क) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों (ईसीओ)/अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों (एसएससीओ) सहित भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी बशर्ते कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को भूतपूर्व सैनिक द्वारा अनुप्रमाणन के बाद सशस्त्र सेना में की गई लगातार सेवा 6 माह से कम न हो। यह छूट ऐसे आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को भी प्राप्त है जिन्होंने मिलिट्री सेवा में 5 वर्ष की प्रारंभिक तैनाती अवधि पूरी कर ली है और जिनकी तैनाती अंतिम तिथि को 5 वर्ष से और आगे बढ़ा दी गई है तथा जिनके मामलों में रक्षा मंत्रालय यह प्रमाण-पत्र जारी कर देता है कि चयन हो जाने के बाद नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने के भीतर उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस पैरे के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र में आयोग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी : केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी सिविल पद पर पहले से नियमित रोजगार प्राप्त भूतपूर्व सैनिकों को, केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी उच्चतर पद पर अथवा सेवा में कोई दूसरा रोजगार प्राप्त करने के लिए भूतपूर्व सैनिकों को यथा स्वीकार्य आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त करने की अनुमति है। तथापि, ऐसे उम्मीदवार केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का लाभ, यदि कोई हो, पाने के पात्र नहीं होंगे।

(ख) उपर्युक्त (क) के तहत रियायत हेतु पात्र होने के लिए संबंधित उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्रों के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया गया है। ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के प्रमाण-पत्रों पर नीचे दर्शाए गए समुचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिएं और रक्षा सेवाओं में उनकी सेवा अवधि का भी अभिलेखबद्ध किया जाना चाहिए:-

(i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में :-

सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

नौसेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

वायु सेना : कार्मिक सेवा निदेशालय, वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली।

(ii) नौसेना तथा वायु सेना के जूनियर कमीशन अधिकारी/अन्य रैंकों तथा समकक्ष पद के मामले में:-

सेना : विभिन्न रेजिमेंटों के रिकार्ड कार्यालयों द्वारा।

नौसेना : नौसेना रिकार्ड, मुंबई।

वायु सेना : वायु सेना रिकार्ड, नई दिल्ली।

(ग) **केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट :**

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार केन्द्र/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट है। (इसका अर्थ यह है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट है जिसमें आयु में 5 वर्ष की छूट उनकी संबंधित श्रेणियों से है। उसी प्रकार, अ.पि.व. के व्यक्तियों को अधिकतम 8 वर्ष की छूट है जिसमें अ.पि.व. के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट शामिल है)। यह छूट केंद्र सरकार में 3 साल की निरंतर सेवा और उसी पद या संबद्ध कैडर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य होगी और जहां यह स्थापित किया जा सकता है कि उस विशेष पद पर पहले से प्रदान की गई सेवा जिस पद पर भर्ती की जा रही है, उसके कर्तव्यों का कुशल निर्वहन करने के लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित निर्णय आयोग का होगा। उम्मीदवार जो केंद्र सरकार के कर्मचारी की श्रेणी से संबंधित होने का दावा करता है और इस प्रकार इस पैरा के तहत आयु में छूट की मांग करता है, उसे कार्यालय के लेटर हेड पर अपने नियोक्ता से **विज्ञापन की तिथि के बाद जारी किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की**

आवश्यकता होगी कि वह नियमित रूप से नियुक्त केंद्र सरकार का कर्मचारी है और कैजुअल/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/प्रति घंटा भुगतान/अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मचारी नहीं है।

(घ) **बैंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु सीमा में छूट :**

(i) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत (क) दृष्टिहीन और अल्पदृष्टि (ख) बधिर और ऊंचा सुनने वाले (ग) प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात सहित चलने में असमर्थ, कुष्ठ रोग उपचारित, बौनापन, तेजाबी हमले के पीड़ित तथा मांसपेशीय कुपोषण (घ) ऑटिज़्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट लर्निंग अक्षमता तथा मानसिक रोग, (ङ) प्रत्येक दिव्यांगता के लिए चिह्नित पदों में बधिर-दृष्टिहीन सहित खंड (क) से (घ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किए गए सभी सिविल पदों/सेवाओं पर सीधी भर्ती के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 वर्ष की छूट जिसमें 5 वर्ष की छूट का अभिप्राय उनसे संबंधित श्रेणियों के लिए है। इसी प्रकार अ.पि.व. उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी जिसमें अ.पि.व. उम्मीदवार के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट का अभिप्राय शामिल है), जो इस शर्त के अधीन दी जाएगी कि अंतिम तिथि को आवेदक की आयु 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पद आरक्षित हो या नहीं, दोनों ही स्थिति में, दिव्यांग व्यक्तियों को आयु में छूट अनुमेय है, बशर्ते संबंधित पद दिव्यांगता की संगत श्रेणी के लिए उपयुक्त रूप से चिन्हित किया गया है।

(ii) न्यूनतम 40% अशक्तता वाले उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट अनुमेय होगी।

(iii) ऐसे अशक्त उम्मीदवार जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी होने के कारण आयु में छूट के हकदार हैं, उन्हें 'अशक्त उम्मीदवार' या 'केन्द्रीय

सरकार के कर्मचारी' जो भी उनके लिए अधिक लाभदायक हो, के रूप में ही रियायत मिलेगी।

- (iv) ऐसे पद/सेवा के लिए उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे जिनमें अधिसूचना द्वारा आयु में छूट के लिए अन्य विशिष्ट प्रावधान किया गया हो।
- (v) आयु में छूट के प्रयोजनार्थ दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों की परिभाषा "दिव्यांग अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016" अधिनियम की अनुसूची {धारा-2 का खण्ड(22)} के अनुसार होगी।

(ड) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आरटी/सीबीआरटी में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सुविधा:

दृष्टिहीन, चलने में असमर्थ (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तष्कीय पक्षाघात की श्रेणियों में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों को यदि उसकी इच्छा हो तो स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी), 2016 की धारा 2 (द) के तहत यथापरिभाषित बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के मामले में उन्हें स्क्राइब की सुविधा आयोग की वेबसाइट पर भर्ती खंड (प्रमाणपत्र हेतु www.upsc.gov.in/recruitment/forms) में दिए गए प्रमाणपत्र प्रपत्र में सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिया जाएगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने की शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से लिखने हेतु स्क्राइब की सुविधा होना आवश्यक है, उम्मीदवार के पास अपना स्क्राइब लाने या फिर उसके लिए आयोग से अनुरोध करने का विकल्प होगा। स्क्राइब का विवरण अर्थात् स्क्राइब उम्मीदवार या फिर आयोग की ओर से है तथा स्क्राइब का विवरण (यदि स्क्राइब उम्मीदवार द्वारा लाया जा रहा है), ऑन-लाइन भरते समय मांगा जाएगा। स्क्राइब की योग्यता पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम योग्यता से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. (क) आवेदन किस प्रकार करें :

(i) उम्मीदवार अनिवार्यतः वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर रद्द कर दिया जाएगा।

(ii) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार अपनी जन्म-तिथि, अनुभव (विशेष रूप से निर्धारित प्रपत्र में), वांछनीय योग्यता (योग्यताओं) या अन्य किसी भी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों को सिंगल पीडीएफ फाइल में इस प्रकार अपलोड करना होगा कि फाइल का आकार संबंधित उपर्युक्त मॉड्यूल के लिए 1 एमबी से अधिक तथा “अपलोड अन्य दस्तावेज” के लिए 2 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल कर पढ़ा जा सके। इस प्रयोजनार्थ, उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेज/प्रमाण-पत्र 200 डीपीआई ग्रे स्केल में स्कैन करने होंगे। वेतन पर्ची, जीवन-वृत्त, नियुक्ति आदेश, कार्य-मुक्ति पत्र, अहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण-पत्र, आदि दस्तावेजों को डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल में हरगिज अपलोड नहीं किया जाना चाहिए:-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तिथि का अभिलेखबद्धन किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों)/विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्ध किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्ध भी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत

करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) किए गए किसी अन्य दावों के लिए दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी : यदि कोई दस्तावेज / प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत रूप से अभिप्रमाणित कराकर अपलोड करना होगा।

(iii) महत्वपूर्ण : उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल आईडी भरें क्योंकि आयोग द्वारा सभी पत्र-व्यवहार केवल ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में साक्षात्कार अनुसूची और प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्रों की प्रतियों से संबंधित अपेक्षाओं को यथासमय उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा तथा आयोग की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।

(iv) जो उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे निर्धारित शुल्क सहित प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन-पत्र भेजें।

(v) ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र (ओ.आर.ए.) को जमा करने के बाद उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से जमा किए गए ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना अपेक्षित है।

(vi) उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट या कोई अन्य दस्तावेज डाक द्वारा या दस्ती रूप से आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तथा नीचे पैरा 7 में उल्लिखित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(vii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करें; तथापि, यदि वह एक पद के लिए एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करता/करती है तो उसे यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उच्चतर "आवेदन सं." वाला ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र शुल्क सहित सभी प्रकार से परिपूर्ण है। जो आवेदक एक से अधिक ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र जमा करते हैं उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि आयोग द्वारा केवल उच्चतर "आवेदन सं." वाले ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र

को ही स्वीकार किया जाएगा और एक "आवेदन सं." के लिए दिए गए आवेदन शुल्क को किसी अन्य "आवेदन पत्र सं." के लिए समायोजित नहीं किया जाएगा।

(viii) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करके ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र समय रहते जमा करा दें।

6. (ख) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारियों के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में दस्तावेजों/संगत प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होंगी।

“ चेतावनी ” :

उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच तभी की जाएगी जब उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के अनुसार योग्यताओं और अनुभवों, विज्ञापन तथा मॉडलिटीज के अनुसार विभिन्न रिपोर्टों और शार्टलिस्टिंग के लिए अपनाए गए मानदण्डों के संदर्भ में सूचना के आधार पर प्रथम दृष्टया पात्र पाया जाएगा। उन्हें यह अवश्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा दी गई जानकारी सही है। यदि बाद में किसी स्तर पर या साक्षात्कार के समय कोई सूचना या उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया गया कोई दावा झूठा पाया जाता है तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आयोग उन्हें स्थायी तौर पर या किसी निश्चित अवधि के लिए

- आयोग अपने द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या चयन से।
- केन्द्र सरकार अपने अधीन आने वाले किसी भी रोजगार से विवर्जित कर सकती है

7. साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण-पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट और निम्नलिखित मूल दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी स्व-प्रमाणित प्रतियां तथा बुलावा पत्र में साक्षात्कार के लिए दर्शाई गई अन्य सामग्री साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उम्मीदवार को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में ऐसे उम्मीदवार यात्रा खर्च के रूप में आयोग द्वारा दिए जाने वाले अंशदान के हकदार नहीं होंगे :-

(क) मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर या समकक्ष प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि दर्शाई गई हो, या मैट्रिकुलेशन/10वीं स्तर की अंकतालिका या केन्द्र/राज्य बोर्ड द्वारा

जारी किया गया समकक्ष प्रमाण-पत्र, जिसमें उनकी आयु के दावे के समर्थन में जन्मतिथि दर्शाई गई हो। जहां संबंधित शैक्षिक बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्र/अंकतालिका में जन्म की तिथि का अभिलेखबद्धन किया गया हो, उन मामलों में विद्यालय छोड़ने संबंधी प्रमाण-पत्र में दर्शाई गई जन्म की तिथि (जैसा कि तमिलनाडु और केरल के मामले में) पर विचार किया जाएगा।

(ख) दावा की गई शैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण के रूप में सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ-साथ डिग्री/डिप्लोमा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र जमा न किए जाने की स्थिति में, सभी शैक्षिक वर्षों की अंकतालिकाओं के साथ अनंतिम प्रमाण-पत्र स्वीकार्य होगा।

(ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष खंड के संबंध में यदि कोई उम्मीदवार यह दावा करता है कि कोई विशिष्ट योग्यता विज्ञापन के अनुसार अपेक्षित अनिवार्य योग्यता के समकक्ष है तो उम्मीदवार को उस प्राधिकरण के बारे में बताते हुए उस आदेश/पत्र की प्रति (संख्या तथा तिथि सहित) संलग्न करनी होगी जिसके अंतर्गत इसे उस रूप में स्वीकार किया गया हो।

(घ) दावा किए गए समग्र अनुभव के लिए निर्धारित प्रपत्र में संगठन (संगठनों) / विभाग (विभागों) के अध्यक्ष (अध्यक्षों) द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र, जिनमें स्पष्ट रूप से रोजगार की अवधि (तिथि, मास तथा वर्ष), मूल वेतन तथा समेकित वेतन का अभिलेखबद्धकिया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रतियां। इस प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) में उक्त पद (पदों) पर किए गए कार्यों का स्वरूप/प्राप्त किए गए अनुभव की अवधि (अवधियों) का अभिलेखबद्धभी किया जाना चाहिए। अनुभव प्रमाण-पत्र, पद से संगत निर्धारित प्रपत्र में जारी किया जाना चाहिए। यदि अनुभव संबंधी कोई प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं है लेकिन उसमें ऊपर दिए गए सभी विवरण शामिल हैं, तो आयोग उस पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा।

(ङ) अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. की हैसियत से आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत

करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से उम्मीदवार की जाति, उस अधिनियम/आदेश का अभिलेखबद्ध किया गया हो जिसके अंतर्गत उसकी जाति को अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. के रूप में मान्यता प्रदान की गई हो तथा उस गांव/शहर का नाम जहां वह सामान्यतः निवास कर रहा है।

(च) अ.पि.व. के रूप में आरक्षण का लाभ चाहने वाले उम्मीदवार को समुदाय प्रमाण-पत्र (अ.पि.व.) के अलावा निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि वह निर्णायक तिथि को 'क्रीमी लेयर' में शामिल नहीं है। जब तक अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया हो, पद के लिए ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्राप्त की निर्धारित अंतिम तिथि निर्णायक तिथि मानी जाएगी।

(छ) चिकित्सा स्वस्थता के निर्धारित मानदण्डों के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी किया गया शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य चिकित्सा बोर्ड से है जो केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया हो। केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले एक चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा जिनमें से कम से कम एक सदस्य चलने/ प्रमस्तिष्कीय/दृष्टि/श्रवण अक्षमता, जैसा भी मामला हो, के विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त हो।

(ज) कोई उम्मीदवार जो मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने की स्थिति में नाम में परिवर्तन का दावा करता है तो उसे निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे :

i) **महिलाओं के विवाह के मामले में** - पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति, जिसमें पत्नी के नाम का अभिलेखबद्ध हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिशनर के सामने विधिवत शपथ लेते हुए संयुक्त फोटो सहित शपथ-पत्र।

ii) महिलाओं के पुनर्विवाह की स्थिति में - पहले पति के संदर्भ में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण-पत्र, जैसी भी स्थिति हो, तथा वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोप्रति जिसमें पत्नी के नाम का अभिलेखबद्ध हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाण-पत्र की अनुप्रमाणित प्रति या पति तथा पत्नी द्वारा ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत शपथ लेते हुए एक संयुक्त फोटो सहित एक शपथ-पत्र।

iii) तलाकशुदा महिलाओं के मामले में - तलाक आदेश तथा एक पक्षीय विलेख/शपथ-पत्र, जिस पर ओथ कमिश्नर के समक्ष विधिवत शपथ ली गई हो, की प्रमाणित प्रति।

iv) अन्य परिस्थितियों में महिला एवं पुरुष, दोनों के नाम परिवर्तन के मामले में, एक पक्षीय विलेख/शपथ पत्र जिस पर ओथ कमिश्नर के सामने विधिवत रूप से शपथ ली गई हो और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल समाचार कतरनें (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी तथा वर्तमान पते या निकटवर्ती क्षेत्र का होना चाहिए) तथा राजपत्र अधिसूचना की प्रति।

(झ) आयु में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र/दस्तावेज :

i) ई.सी.ओ./एस.एस.सी.ओ. सहित भूतपूर्व सैनिक तथा कमीशन प्राप्त अधिकारियों के मामले में सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में।

ii) केन्द्र सरकार/संघ शासित सरकार के कर्मचारियों के लिए विज्ञापन की तिथि के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में जारी।

iii) वे व्यक्ति जो विशेष उपबंध/आदेश के अंतर्गत आयु में छूट प्राप्त करना चाहते हैं।

(ञ) वे व्यक्ति जो नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक वेतन/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार से इतर स्थाई या अस्थायी आधार पर पहले से ही सरकारी सेवा में हैं उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने अपने कार्यालय प्रधान/विभागाध्यक्ष

को यह लिखकर दे दिया है कि उन्होंने उक्त पद पर चयन के लिए आवेदन किया है।

(ट) व्यावसायिक पंजीकरण, भाषा, प्रकाशन, नेट, गेट, सम्मेलन, इंटरनेट संबंधी दावे के संबंध में प्रमाण-पत्र।

(ठ) किए गए किसी अन्य दावे (दावों) के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण।

टिप्पणी I : ऑनलाइन भर्ती आवेदन में वर्णित जन्म की तिथि निर्णायक है। बाद में जन्म की तिथि में परिवर्तन संबंधी किसी भी अनुरोध पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी II : उम्मीदवारों की साक्षात्कार के लिए लघुसूची तैयार करने के लिए वैध अनुभव की गणना करते समय उम्मीदवार द्वारा अंशकालिक, दैनिक वेतन, विजिटिंग/अतिथि फैकल्टी आधार पर प्राप्त अनुभव की अवधि को गिना नहीं जाएगा।

टिप्पणी III : यदि कोई दस्तावेज/प्रमाण-पत्र हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है तो उक्त का लिप्यन्तरण किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी से विधिवत अभिप्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई :

उम्मीदवारों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें, और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह चेतावनी भी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में उम्मीदवार को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए आयोग द्वारा दोषी माना जाता है या घोषित किया गया है:

- (क) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा
- (ख) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा
- (ग) किसी अन्य व्यक्ति से छल से कार्य साधन कराया है, अथवा
- (घ) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिनमें फेरबदल किया गया है, अथवा
- (ङ) गलत या झूठे वक्तव्य दिए गए हैं या कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गई है, अथवा
- (च) अपने चयन के लिए उम्मीदवारी हेतु किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा
- (छ) परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा
- (ज) उत्तर पुस्तिका (ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा
- (झ) परीक्षा भवन में अन्य किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा
- (ञ) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा
- (ट) परीक्षा हाल/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन/संचार यंत्र लाया हो।
- (ठ) पूर्वोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है, और इसके साथ ही उसे—
 - (i) आयोग उस चयन से जिसका वह उम्मीदवार है अयोग्य ठहरा सकता है, और/अथवा
 - (ii) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए
 - आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

- केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से विवर्जित किया जा सकता है, और
- (iii) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।

9. अन्य सूचना/अनुदेश

- (क) सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से सरकारी सेवा में हो या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में नियुक्त हों या प्राइवेट रोजगार में हों उन्हें अपना आवेदन-पत्र आयोग को सीधे ऑनलाइन भेजना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से नैमित्तिक/तदर्थ/दैनिक मजदूरी/घंटेवार भुगतान/संविदा आधार के कर्मचारी से इतर प्रभारी कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं, उन्हें यह घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के प्रधान को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस चयन के लिए आवेदन किया है।
- (ख) सभी उम्मीदवारों की हर तरह से पात्रता निर्धारित करने की अंतिम तिथि वेबसाइट <http://www.upsconline.nic.in> में दर्शाई गई ऑनलाइन भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि होगी।
- (ग) अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष योग्यता खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार किसी विशेष योग्यता को विज्ञापन की अपेक्षा के अनुसार किसी योग्यता के समकक्ष होने का दावा करता है तो उसे इस संबंध में वह आदेश/पत्र, जारी करने वाले प्राधिकारण का अभिलेखबद्ध (संख्या तथा तिथि) करना होगा जिसके अंतर्गत उक्त योग्यता को समकक्ष तौर पर स्वीकार किया गया हो अन्यथा ऑनलाइन भर्ती आवेदन पत्र को रद्द किया जा सकता है।
- (घ) उम्मीदवारों से यदि अपेक्षा की गई तो उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित स्थान पर वैयक्तिक साक्षात्कार के लिए अवश्य उपस्थित होना होगा।

साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को आयोग कोई यात्रा खर्च और अन्य खर्च नहीं देता है। तथापि आयोग उम्मीदवार के निवास स्थान से निकटतम रेलवे स्टेशन से साक्षात्कार के स्थान तक अथवा जहां से उम्मीदवार वास्तव में यह यात्रा करता है, जो भी साक्षात्कार के स्थान से सबसे नजदीक पड़ता हो तथा वापसी उस स्थान तक अथवा उम्मीदवार द्वारा किए गए रेल किराए के वास्तविक खर्च, जो भी कम हो, के लिए द्वितीय श्रेणी के मेल रेल किराए की राशि के अनुरूप दर पर अंशदान देता है। इसका ब्यौरा उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने पर दिया जाएगा।

- (ड) जिन उम्मीदवारों का साक्षात्कार दिल्ली में होता है उन्हें उनके द्वारा किराये के लिए किये गये खर्चों का भुगतान आयोग द्वारा साक्षात्कार वाले दिन ही कर दिया जाएगा बशर्ते कि वे सारी शर्तें पूरी करतें हों। जिन उम्मीदवारों को दिल्ली से भिन्न अन्य स्थानों पर साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है उन्हें उसका भुगतान बाद में मनीआर्डर द्वारा कर दिया जाएगा। जो उम्मीदवार आयोग के काउण्टर से नकद में यात्रा भत्ता प्राप्त नहीं करना चाहते है उनका यात्रा भत्ता उनके संबंधित खातों में भी भेजा जा सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को अपने यात्रा भत्ते के दावे के साथ एक रद्द चेक भी जमा कराना होगा ताकि उन्हें यह सुविधा मिल सके।
- (च) साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अर्थ यह आश्वासन नहीं है कि उनका चयन कर लिया जाएगा। चयन किए गए उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।
- (छ) उम्मीदवार शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए। चयन हो जाने पर उन्हें सरकार की अपेक्षानुसार स्वास्थ्य परीक्षा कराने के लिए तैयार रहना होगा और ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा।

- (ज) उम्मीदवारों को अंतिम परिणाम के बारे में संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट / रोज़गार समाचार के माध्यम से यथासमय सूचित कर दिया जाएगा और इसलिए परिणाम के बारे में की जाने वाली अंतरिम पूछताछ अनावश्यक है तथा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आयोग साक्षात्कार/नियुक्ति के लिए चयन न होने के कारणों के बारे में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करता है।
- (झ) आयोग अपने विवेक से साक्षात्कार के दौरान विशेष योग्यता तथा अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर प्रारंभिक वेतन प्रदान कर सकता है।
- (ञ) अपने पक्ष में किसी भी प्रकार की अनुयाचना करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण

संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा / साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध है।

- (क) सरकार ऐसे कार्य बल के लिए प्रयासरत है जिससे महिला और पुरुष कार्मिकों का संतुलन प्रदर्शित हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- (ख) यदि उम्मीदवार अपने आवेदन, उम्मीदवारी, आदि के संबंध में किसी प्रकार का मार्गदर्शन / जानकारी/ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो वे आयोग परिसर में गेट 'सी' पर संघ लोक सेवा आयोग के सुविधा केन्द्र पर वैयक्तिक रूप से या दूरभाष सं0 011-23385271 / 011-23381125 / 011-23098543 पर कार्य दिवसों के दौरान 10.00 बजे से 17.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

विभिन्न प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के प्रपत्र आयोग की शासकीय वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in>. पर प्रमाणपत्रों के फार्म भर्ती शीर्ष के अन्तर्गत (लिंक <http://www.upsc.gov.in./recruitment>) उपलब्ध करवाए गए हैं। उम्मीदवार उनको डाउनलोड करके तदनुसार भर सकते हैं।
